बजट घोषणा में अनदेखी से मंत्रालय कर्मचारियों ने पकड़ी आंदोलन की राह

लालसोट/रामगढ़ पचवारा, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में अनदेखी पर उपखंड मुख्यालय पर मंत्रालय कर्मचारी आंदोलन की राह पर है।

मंत्रालय कर्मचारी विरोध प्रदर्शन स्वरूप सद्बुद्धि यज्ञ करने के बाद बुधवार को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। वहीं बजट घोषणा में अनदेखी को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा

■ **आज सद्बुद्धि यज्ञ के बाद कार्य बहिष्कार करेंगे**

मंगलवार को एक बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। मंत्रालय कर्मचारियों के सचिवालय के समान वेतन भत्ते एवं अन्य मांगों को बजट घोषणा में अनदेखी किए जाने के कारण मंत्रालय कर्मचारियों ने आंदोलन के तहत पंचायत समिति लालसोट में हनुमान चालीसा का पठन किया गया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आव्हान पर लालसोट ब्लॉक एवं रामगढ ब्लॉक के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों ने आधे दिन का कार्य बहिष्कार कर हनुमान चालीसा का पठन किया।

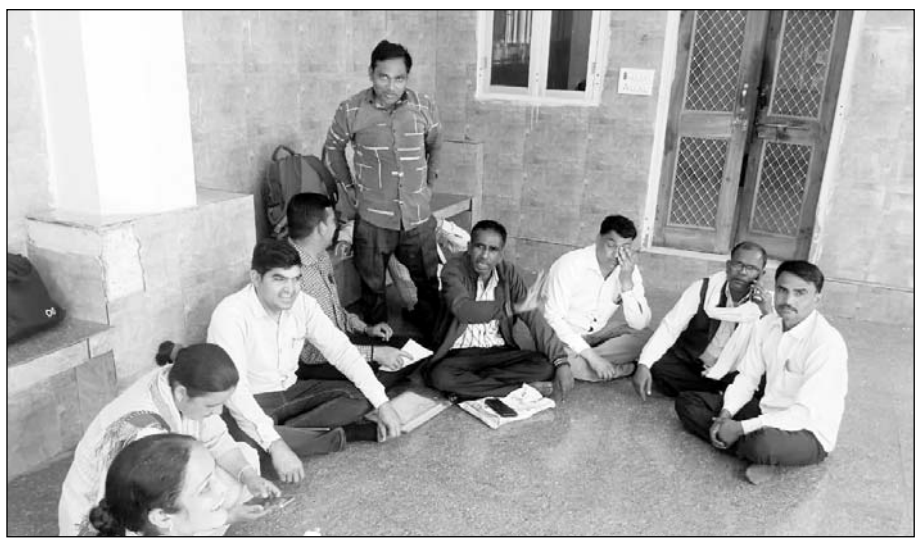

मंत्रालय कर्मचारियों ने बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति पर चर्चा की।

जिसमें पंचायत राज के ब्लॉक अध्यक्ष मंगल राडा के नेतृत्व में पंचायत समिति में लालसोट ब्लॉक अध्यक्ष शिवकुमार बटवाडा शिक्षा विभाग ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार जैन प्रदेश पदाधिकारी रामबाबू सैनी वीरेंद्र कुमार जैन नीरज शर्मा संतोष सैनी पुखराज रविंद्र जैन भगवती देवी राजेंद्र शर्मा विष्णु शर्मा अशोक शर्मा जमात अन्य सभी भागों के मंत्रालय कर्मचारियों ने भाग लिया।

मंत्री जूली ने नवनिर्मित सड़क का निरीक्षण किया

अलवर, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव हल्दीना से एमआईए वाया कैरवाडा तक बन रही नवनिर्मित सड़क का निरीक्षण कर ठेकेदार को सडक कार्य में गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मंत्री जूली ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बडी संख्या में सडक निर्माण के कार्य किए जा रहे है। इन सडकों के निर्माण होने से क्षेत्र में आवागमन के साथ-साथ विकास को बढावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में सडकों का जाल बिछाने का अभूतपूर्व कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन सडकों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक एवं विकासोन्मुख बजट पेश किया है जिसमें आमजन का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को लाभांवित कराने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है जिनका जागरूक रहकर आमजन अधिक से अधिक लाभ उठावे।

खाटूश्याम दर्शनों के लिए पदयात्री रवाना

निवाई, (निसं)। पीपलू में श्री श्याम पदयात्रा संघ के तत्वावधान में मंगलवार को श्रद्धालुओं की पदयात्रा सीकर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम बाबा के दर्शनों व फाल्गुन मास में लगने वाले खाटू श्याम बाबा के वार्षिक मेले में शिरकत करने के लिए रवाना हुई। पदयात्रा से जुडे मोहन साहू ने बताया कि मंगलवार सुबह पीपलू के कूट वाले बालाजी के यहां से खाटू श्याम पदयात्रा श्याम बाबा के निशान की पूजा अर्चना करके एवं आरती उतारकर गांव में विभिन्न मार्गों से जुलूस के साथ रवाना हुई। पदयात्री हाथों में बाबा का निशान लिए हुए श्याम जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं श्रद्धालु श्याम बाबा के भजनों पर जमकर नृत्य किया। ग्रामीणों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा से पदयात्रियों का स्वागत किया। पदयात्रा बनवाडा, रानोली, माधोराजपुरा, मदरामपुरा, सांगानेर, चौंमू, रींगस होते हुए 27 फरवरी को खाटू श्याम पहुंचेंगे।

विवाहिता ने फांसी लगाई

नारायणपुर, (निसं)। कस्बे के बाईपास पर मंगलवार को एक विवाहिता ने फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली । सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लिया ।

थानाधिकारी शिवशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतका उर्मिला (22) पत्नी भैरूसहाय जाति यादव निवासी नारायणपुर बाईपास का पोस्टमार्टम कराकर शव मृतका के पिता के सुपुर्द कर दिया। मृतका फ़िलहाल बीए सैकिण्ड ईयर में अध्ययनरत थी। उसकी शादी 6 वर्ष पहले नारायणपुर निवासी भैरुराम यादव से हुई थी । पुलिस ने घटना स्थल पर एफएसएल टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए।

इस दौरान बानसूर डीएसपी सुनील कुमार व नारायणपुर तहसीलदार ओमप्रकाश लखेरा मौके पर मौजूद रहे। इधर थानाधिकारी ने बताया कि मृतका के पिता भीलाराम ने नारायणपुर थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज़ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया हैं । पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी हैं।

कांग्रेसियों ने योजनाओं की जानकारी दी

रामगढ़ पचवारा, (निसं)। उपखंड क्षेत्र के जीतपुर ग्राम में कांग्रेस जनों द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान बैठक करते हुए राज्य सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ कांग्रेस की रीति नीति से लोगों को अवगत कराया गया।

हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान कांग्रेस जनों ने लालसोट ब्लॉक के ग्राम पंचायत जीतपुर में जाकर राहुल गांधी के संदेश एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना एवं राज सरकार के विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जीतपुर ग्राम वासियों ने भव्य स्वागत किया । इस अवसर पर पीसीसी सदस्य कमल मीणा पूर्व चेयरमैन एवं पीसीसी सदस्य दिनेश मिश्रा, लालसोट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जगदीश राड़ा लालसोट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामफुल सैनी रामगढ रामगढ पचवारा मंडल अध्यक्ष किशन लाल मीणा राहुवास मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण मीणा जीतपुर सरपंच अम्पु लाल बेरवा लालसोट ब्लॉक कांग्रेस सोशल मीडिया संयोजक रोहित पंसारी आदि कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी मौजूद रहे।

100 कि.मी. दंडवत कर बाबा श्याम के दर्शन किए

खाटूश्यामजी, (निसं)। मंगलवार को सरदारशहर के एक श्याम भक्त रविराज सोनी ने कनक दंडवत करते हुए बाबा श्याम के दरबार में मत्था टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। रविराज 31 दिसम्बर को सरदारशहर से कनक दंडवत खाटूश्यामजी आने के लिए रवाना हुए और 53 दिन की लम्बी यात्रा के बाद मंगलवार को खाटूधाम पहुंचे। इन्होंने इन 53 दिन में करीब 101 किलोमीटर का सफर कनक दंडवत करते हुए पूरा किया। उन्होंने बताया कि बाबा श्याम के दर पर हमेशा आता रहा हूं और बहुत महिनों से कनक दंडवत करते हुए बाबा के दर्शन करने की इच्छा थी और इस बार बाबा श्याम ने यह मनोकामना पूरी की है। रविराज ने बताया कि बाबा श्याम के आशीर्वाद से किसी तरह की शारीरिक व मानसिक परेशानी नहीं हुई।

कार्यालय ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा
प.स.सांगानेर जयपुर

क्रमांक-39 दिनांक-21/02/2023

ऑनलाइन निविदा सूचना संख्या 06/2022-23

ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा में राजस्थान पंचायतीराज नियम 181 के तहत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाईन दरें ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है। NIB No. PEZ2223A0125 UBN No. PEZ2223WSOB00151 to 152

ग्राम विकास अधिकारी — सरपंच
ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा — ग्राम पंचायत खेडी गोकुलपुरा

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजील, मैट्रिक्स मॉल सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)- 302004
ई-मेल: sbi.18184@sbi.co.in, शाखा कोड.- 18184
फोन: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

[नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि
निम्नहस्ताक्षरकर्ता **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, (1) **श्री सुजय जोसेफ पुत्र स्व. श्री सैमुअल जोसेफ,** (2) **श्रीमती नलिनी जोसेफ पत्नी श्री सुजय जोसेफ,** (3) **सुश्री निहारिका जोसेफ पुत्री श्री सुजय जोसेफ** पर **मांग सूचना दिनांक 10.11.2022** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 08.11.2022 को बकाया राशि रू. 57,22,145/- (रूपये सतावन लाख बाईस हजार एक सौ पैंतालीस मात्र) एवं दिनांक 09.11.2022 से ब्याज** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी/जमानतदार और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 20, माह फरवरी, वर्ष 2023** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की अधारा 8 के साथ पठित उसमे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे मे ले लिया है।

ऋणी/जमानतदार को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 20.02.2023 को बकाया राशि रू. 57,47,103/- (रूपये सतावन लाख सैंतालीस हजार एक सौतीन मात्र)** एवं उस पर लागते आदि का पुनर्भुगतान करने के लिए **भारतीय स्टेट बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के मालिक: श्री सुजय जोसेफ पुत्र स्व. श्री सैमुअल जोसेफ
सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि प्लॉट नं. सी-20, कनक वृन्दावन (सी-ब्लॉक) सिरसी रोड, जयपुर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज है। **सीमाएं-** उत्तर: प्लॉट नं. सी-21, दक्षिण: प्लॉट नं. सी-19, पूर्व: रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. सी-17

हस्ता.
स्थान: जयपुर — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 20.02.2023 — भारतीय स्टेट बैंक

खोया पाया

मकान संख्या 80/97 प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर का मूल नियमिति करण एवं लीज मुक्ती प्रमाण पत्र गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करे।
सुरेश कुमार-9928122523

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.04.2022 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह-कर्जदारो एवं जमानतियों 1. नित्यानन्द पांडे, 2. शिवानी पांडे, 3. दुर्गावती पांडे को जारी किया गया था, जिसमें 19.04.2022 की तिथी को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशी रुपये 11,88,035.33/- (रूपये ग्यारह लाख अठासी हजार पैंतीस और पैसे तैतीस मात्र) का भुगतान उपयुक्त नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज फरवरी 2023 के 15वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशी रुपये 11,88,035.33/- (रूपये ग्यारह लाख अठासी हजार पैंतीस और पैसे तैतीस मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

फ्लैट नं. 404, क्षेत्रफल 700 वर्ग फिट, दूसरी मंजिल, प्लाट नं. ए-71, रायल सिटी, ग्राम माचवा, कलवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान का पूरा एवं प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-रोड 40 फिट चौडी, पश्चिम-प्लाट नं. ए-85, उत्तर-प्लाट नं. ए-72, दक्षिण-प्लाट नं. ए-70

दिनांक - 15 फरवरी 2023 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान-जयपुर — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता संख्या- 8522199 एवं 18831931 — (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय श्रीमान एडीजे क्रम-3 स्थान जयपुर महानगर, जयपुर द्वितीय
अशोक कुमार बिलाला विरूद्ध राकेश कुमार व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र आई.टी.
प्रार्थना-पत्र संख्या - 135/21

नाम अशोक कुमार जैन पुत्र श्री लल्लू लाल जैन जाति जैन पता प्लाट नं. 267 वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड जयपुर (राज.) उक्त.....ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया कि---

अतः आपकों चतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 15 माह 02 सन् 2023 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक योग रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश का सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज दिनांक 04 माह 02 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर — आज्ञा से-शेरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-03 जयपुर महानगर द्वितीय

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय माननीय ADJ क्रम-3 स्थान जयपुर महानगर-द्वितीय
अशोक कुमार बिलाल विरूद्ध राकेश कुमार व अन्य
वाद बाबत दावा
वाद सं. 145सन् 2021

नाम अशोक कुमार जैन पुत्र श्री लल्लू लाल जैन जाति जैन स्थान प्लाट नं. 267 वसुधंरा कॉलोनी टोक रोड, जयपुर (राज.) ने आपके विरूद्ध ..के लिए वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 15 माह 3 सन् 2023 को दिन में 10.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 04 माह 02 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

शेरिस्तेदार, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
मोहर — क्रम संख्या-03, जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय नगर पालिका लालसोट (दौसा)

Email ID-lalsot.jaipur@yahoo.com — Ph.-01431-260714

क्रमांक-न.पा.ला./कृ.भू.रू./2023/8139 — दिनांक-21.02.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है नगर पालिका में निम्न आवेदकों द्वारा कृषि भूमि में पट्टा पत्रावली प्रस्तुत की है यदि उक्त आवेदन पर किसी आम व खास को कोई उज्र/आपत्ति हो तो पालिका में सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें बाद मियाद गुजरने पर किसी भी उज्र/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

क्र.सं.	आवेदक का नाम व पता	खसरा नं. कस्बा व कॉलोनी नाम	वर्गगज	प्रयोजन
1	कमल देवी पत्नी रामूलाल शर्मा डीडवाना	199 आदर्श मीना कॉलोनी लालसोट	134	आवासीय
2	कमल देवी पत्नी रामूलाल शर्मा डीडवाना	उपरोक्त	138.88	आवासीय
3	रामजी लाल पुत्र रेवड मल शर्मा डीडवाना	उपरोक्त	133.33	आवासीय
4	रामजी लाल पुत्र रेवड मल शर्मा डीडवाना	उपरोक्त	138.88	आवासीय
5	रामजी लाल पुत्र रेवड मल शर्मा डीडवाना	उपरोक्त	138.88	आवासीय
6	रामजी लाल पुत्र रेवड मल शर्मा डीडवाना	उपरोक्त	138.88	आवासीय
7	रामूलाल शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा डीडवाना	उपरोक्त	138.88	आवासीय
8	रामूलाल शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा डीडवाना	उपरोक्त	138.88	आवासीय
9	रामूलाल शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा डीडवाना	उपरोक्त	138.88	आवासीय
10	गुड्डी बाई पत्नी गिर्राज प्रसाद कंडेरा पट्टी कला	239/5 आश्रम नगर-ए, नगरियावास	100.00	आवासीय
11	नर्बदा देवी पत्नी बजरंग लाल पट्टी कला	उपरोक्त	100.00	आवासीय
12	पार्वती देवी पत्नी नानगराम पट्टी कला	उपरोक्त	107.5	आवासीय
13	चमेली देवी पत्नी कमलेश कुमार मीणा किशोरपुरा	4895/2393 आसाराम बापू नगर लालसोट	200	आवासीय
14	विनोद कुमार सैनी पुत्र रामकिशोर शर्मा मानपुरा	1185/1 ज्योतिबा फुले कॉलोनी लालसोट	133.33	आवासीय
15	पूरन चंद भारद्वाजपुत्र रामकिशोर शर्मा लिवाली	उपरोक्त	150.34	आवासीय
16	संतोष देवी पत्नी छोटे लाल बैरवा भांवरा	36/2/57/5 सुरक्षित नगर चांदसेन	125	आवासीय
17	मधुजैन पत्नी हरिमोहन जैन खेडली	1185/1 ज्योतिबा फुले नगर लालसोट	121.38	आवासीय
18	मोहन उपाध्याय पुत्र प्रहलाद शर्मा लालसोट	21/8 माधव नगर सीतारामपुरा चक नंबर 3	133.33	आवासीय
19	मोहन उपाध्याय पुत्र प्रहलाद शर्मा लालसोट	उपरोक्त	133.33	आवासीय
20	गौरीशंकर पुत्र रामजीलाल शर्मा लालसोट	191, 192, 193, 200, 201, 202, 203 आदर्श मीना कॉलोनी लालसोट	265	आवासीय
21	भरत लाल मीणा पुत्र जगन्नाथ मीणा प्रेमपुरा	199 आदर्श मीना कॉलोनी लालसोट	136	आवासीय
22	श्रीनारायण जसवानी पुत्र धर्मचंद जसवानी लालसोट	678/1 लाहड का कुआं लालसोट	33.33	आवासीय
23	कमलादेवी पत्नी गोपाल बैरवा लालसोट	36/2/57/4 सुरक्षित नगर चांदसेन	266.66	आवासीय
24	रामपती देवी पत्नी कैलाश मीणा रमजानीपुरा	322/200 इशाक मोहम्मद कॉलोनी राजोली	153.33	आवासीय
25	विश्राम मीणा पुत्र भागीरथ मीणा कुशलपुरा	403/36/1 यशोदा नगर चांदसेन	177.77	आवासीय
26	सुनील कुमार पुत्र रामजीलाल शर्मा लालसोट	41 राधारमणकॉलोनी नांगल उर्फ अभयपुरा	194.44	आवासीय
27	रामजीलाल शर्मा पुत्र प्रकाश चंद शर्मा लालसोट	148 आदर्श कॉलोनी लालसोट	79.22	आवासीय
28	चंद्रकांता पत्नी भगवान सहाय सैनी लालसोट	2419 कृष्णा विहार लालसोट	116.66	आवासीय
29	चंद्रकांता पत्नी भगवान सहाय सैनी लालसोट	उपरोक्त	116.66	आवासीय
30	सीताराम पुत्र जगन्नाथ खाती लालसोट	232 जमात कोथुन रोड लालसोट	36.66	व्यवसाय
31	सत्यनारायण, सीताराम पुत्र जगन्नाथ जांगिड लालसोट	उपरोक्त	496.22	आवासीय
32	सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जांगिड लालसोट	उपरोक्त	36.66	व्यवसाय
33	मुकेश कुमार पुत्र कैलाश प्रसाद सैनी खटवा	2422 हनुमान वाटिका लालसोट	62.83	आवासीय
34	बाबूलाल सैनी पुत्र कैलाश प्रसादसैनी खटवा	उपरोक्त	65.26	आवासीय
35	आशा शर्मा पत्नी श्याम सुंदर शर्मा लालसोट	21/8 माधवनगर सीतारामपुरा चक नंबर 3	133.33	आवासीय
36	आशा शर्मा पत्नी श्याम सुंदर शर्मा लालसोट	21/8 माधवनगर सीतारामपुरा चक नंबर 3	133.33	आवासीय
37	शिव शंकर शर्मा पुत्र प्रेम शंकर शर्मा बिदरखा	1185/1 ज्योतिबा फुले कॉलोनी लालसोट	335.41	आवासीय
38	चमेली देवी पत्नी दिनेश कुमार शर्मा नारौली चोड	उपरोक्त	70.83	आवासीय
39	नेहा अग्रवाल पत्नी सुनील कुमार गुप्ता गंगापुर सिटी	उपरोक्त	165	आवासीय
40	सुलक्षणा शर्मा पत्नी कल्याण प्रसाद शर्मा लालसोट	उपरोक्त	80	आवासीय
41	विनोद कुमार पुत्र रामखिलाडी माली अमावरा	उपरोक्त	50..68	आवासीय
42	मथुरी देवी पत्नी रामराज माली सुरतपुरा	उपरोक्त	128.88	आवासीय
43	गिरधारी बंसल पुत्र सत्यनारायण गुप्ता गंगापुर सिटी	उपरोक्त	159.5	आवासीय
44	नेतल कंवर पत्नी गोपाल सिंह कोलीवाडा	उपरोक्त	87.77	आवासीय
45	मीना शर्मा पत्नी सन्तोष शर्मा नापा का वास	21/8 माधव नगर सीतारामपुरा चक नंबर 3	33.33	आवासीय
46	निर्मला पत्नी सुरेश कुमार शर्मा लालसोट	उपरोक्त	33.33	आवासीय
47	गिरिजा शर्मा पत्नी नरेन्द्र शर्मा नापा कावास	उपरोक्त	33.33	आवासीय
48	सत्यनारायण शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा नापा का वास	उपरोक्त	66.66	आवासीय
49	गल्लो देवी पत्नी सीताराम सैनी मानपुरिया	1185/1 ज्योतिबा फूले कॉलोनी	111.11	आवासीय
50	अनीता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, विमला देवी पत्नी श्री सैनी टोडा गंगा	उपरोक्त	95.55	आवासीय
51	प्रेम देवी पत्नी गोपाल सैनी मानपुरिया	उपरोक्त	103.33	आवासीय
52	सत्यनारायण पुत्र हरिशंकर सेठी लालसोट	2028 देव नगर गंगापुर रोड लालसोट	222.22	आवासीय
53	छाजू लाल पुत्र किस्तुर चंद अग्रवाल लालसोट	4209/436 गणेश धाम लालसोट	155.55	आवासीय

उक्त आपत्ति आज दिनांक 21.2.23 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

(रक्षा मिश्रा)
अध्यक्ष
नगर पालिका लालसोट

(सीमा चौधरी)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका लालसोट